

प्रश्न सं. [क. 1940]

R/12

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग

6/6/11

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 8/01/2008/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2011

राज्य के राजस्व विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्यालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा (कक्षा-1)  
पंजी क्र. 11/17-20-1  
दिनांक 8/6/11

विषय- स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक, अंशकालीन भृत्य एवं अंशकालीन सफाई  
कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि।  
संदर्भ- वित्त विभाग का जाप क्रमांक-एफ 8/1/2008/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2008.

--000--

राज्य शासन की विभिन्न भतिवांधवों/दोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न योजना कार्यालयों द्वारा अल्प अवधि के छोटे-छोटे कार्य हेतु अंशकालिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है तथा उन्हें अलग-अलग दरों से भुगतान किया जाता था जिसमें एकरूपता लाने की दृष्टि से जिन विभाग के संबंधित जाप द्वारा सर्वप्रथम एवं अंशकालिक कर्मचारियों को पारिश्रमिक में दिनांक 1-4-2008 से वृद्धि की गई थी।

2/ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अंशकालिक सफाई, कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों का पारिश्रमिक अप्रैल 2011 (माह अप्रैल 2011 का पारिश्रमिक जो मई 2011 से देय है) निम्नानुसार निर्धारित किया जाये :-

- स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक का पारिश्रमिक- ₹ 2000/- प्रतिमाह
- अंशकालीन भृत्यों का पारिश्रमिक- ₹ 1600/- प्रतिमाह
- अंशकालिक सफाई कर्मचारी का पारिश्रमिक- ₹ 700/- प्रतिमाह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अश्विनो कुमार राय)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

2.12.12  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग (कक्षा-1),  
मंत्रालय, भोपाल